



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052025-262992  
CG-DL-E-09052025-262992

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9।  
No. 9।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/ वैशाख 18, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

रक्षा मंत्रालय  
(सैन्य कार्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

का.नि.आ. 9(अ).—प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सेनाध्यक्ष को नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं तक, नियमित सेना की सहायता अथवा उसमें पूरक का कार्य करने के प्रयोजन के लिए अंगीभूत किये जाने अथवा अनिवार्य गार्ड की व्यवस्था के लिए प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी एवं प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को बुलाने के लिये उस नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के वास्ते एतद् द्वारा शक्तियाँ प्रदान करती है:—

(क) मौजूदा 32 इन्फैन्ट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) में से दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण – पश्चिम कमान, अंडमान एवं निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान के क्षेत्रों में तैनाती के लिए 14 इन्फैन्ट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) को अंगीभूत करना।

(ख) अंगीभूत करने के आदेश तभी दिये जायेंगे जब धनराशि बजट में उपलब्ध हो अथवा बजट में आन्तरिक बचत का पुनर्विनियोजन करके उपलब्ध कराई गई हो। रक्षा मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों के आदेश पर अंगीभूत की

गई यूनिटों के लिए लागत उन्ही मंत्रालयों के नाम से डाली जायेगी न कि रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में शामिल की जायेगी।

(ग) यह आदेश 10 फरवरी, 2025 से 09 फरवरी, 2028 तक तीन वर्ष के लिए लागू रहेगा।

[फा. सं. 51518/इन्फै./टीए-2/14/रक्षा(जीएस-III/ए)/2025]

मेजर जनरल जी एस चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**  
**(Department of Military Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2025

**S.R.O. 9(E).**—In exercise of the powers conferred by Rule - 33 of the Territorial Army Rule 1948, the Central Government empowers Chief of the Army Staff to exercise the powers under that rule to call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard or to be embodied for the purpose of supporting or supplementing the regular army to the extent specified below namely: -

(a) Out of the existing 32 Infantry Battalions (Territorial Army), embodiment of 14 Infantry Battalions (Territorial Army) for deployment in the areas of Southern Command, Eastern Command, Western Command, Central Command, Northern Command, South Western Command, Andaman and Nicobar Command and Army Training Command (ARTRAC).

(b) The embodiment shall be ordered provided the funds are available in the budget or have been made available by re-appropriation of the internal savings in the budget. For units embodied at the behest of Ministries other than Ministry of Defence, the cost will be debited to the respective Ministries and will not be included in the budget allocation of the Ministry of Defence.

(c) This order shall remain in force for three years with effect from 10 Feb 2025 to 09 Feb 2028.

[F. No. 51518/Inf/TA-2/14/D(GS-III/A)/2025]

MAJOR GENERAL G S CHOUDHRY, Jt. Secy.